—प्रेस नोट—

थाना लालगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपी पति व सास-ससुर गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या का आरोपी पति व सास-ससुर को गिरफ्तार किया गया, आज दिनांक 12.10.2020 को वादी जगजीवन लाल पुत्र सन्तलाल निवासी बेलवनिया थाना कोरांव जनपद प्रयागराज द्वारा थाना लालगंज पर उपस्थित होकर तहरीर दी गयी कि उसकी 23 वर्षीय पुत्री अंजू कुमारी, जिसकी शादी 03 वर्ष पूर्व सुनील कुमार पुत्र गुलाब निवासी मेढ़रा थाना लालगंज मीरजापुर के साथ की गयी थी। परिवारीजन द्वारा दहेज में ₹ 02 लाख की मांग को लेकर मारा-पीटा एवं प्रताड़ित किया जा रहा था कि दिनांक 11.10.2020 को सायं पति व परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मिलकर वादी की पुत्री को लाठी-डण्डे व मुंह में कपड़ा डालकर मार दिया गया। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया कर विवेचना/वाछिंत अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुए व0उ0नि0 रामेश्वर नाथ यादव मय हमराह हे0का0 अजीत यादव, म0का0 अर्पिता चौहान द्वारा वाछिंत अभियुक्त मृतका के पति सुनील कुमार, सास राजकली देवी व ससुर गुलाब को आज बापू उपरौध इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।